न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 14/2021

प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल जाति चमार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल ....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

निर्णय दिनांक : 10.01.2022

दायरा दिनांक: 21.01.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 108 खसरा नं0 304 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 305 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम पप्पू पुत्र केशरीलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल है। जिसको वादी पप्पू पुत्र केशरीलाल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में पप्पू पुत्र केशरीलाल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू पुत्र केशरीलाल के स्थान प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 21.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/855 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार पप्पू पुत्र केशरीलाल जाति चमार को प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल जाति चमार के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो उक्त व्यक्ति प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम पप्पू पुत्र केशरीलाल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं एवं द्वारका बाई पत्नि बनवारीलाल जाति

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner

स्वा निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 108 खसरा नं0 304 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 305 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम पप्पू पुत्र केशरीलाल के स्थान पर पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश पुत्र केशरीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रद्युम्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner